समाहरणालय, मुंगेर

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद श्री चिराग पासवान (जमुई लोक सभा क्षेत्र) के सांसद निधि के अधीन अनुशंसित योजना का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक–272 दिनांक–17.04.2018 द्वारा तकनीकि अनुमोदन के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है। माननीय सांसद द्वारा प्राप्त प्राक्कलन पर सहमति प्रदान की गयी है। नोडल जिला से योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि प्राप्त हो चुकी है।

सम्यक विचारोपरांत तकनीकि अनुमोदन के आलोक में स्तम्भ 5 में योजना पर अंकित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। योजना कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के आलोक में निविदा द्वारा कराई जाएगी। **माननीय सांसद को कार्य प्रारंभ करने एवं शिलान्यास की तिथि से अवगत करायेंगे।**

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रखंड / नगर निकाय	तकनीकी स्वी0 राशि (रूपये में)	प्रशासनिक स्वी0 राशि (रूपये में)	विमुक्त की जा रही राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
01	तारापुर प्रखंड के ग्राम नारायणपुर पंचायत मानिकपुर में एक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	तारापुर	964000.00	964000.00	723000.00

कुल विमुक्त की जा रही राशि मो0–723000.00 (सात लाख तैईस हजार) रू0 मात्र।

उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन कराना सुनिश्चित करेंगे।

शर्त्ते–

1. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा द्वारा प्राक्क्लन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चि करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. राशि का संधारण एवं व्यय बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
4. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नही होगा।
5. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्क्लित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
6. योजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।
7. योजना का कार्य अगले तीन माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
8. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
9. कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो, किसी भी परिस्थिति में निजी / रैयती जमीन पर योजना कार्यान्वित नही करायी जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वर्णित कार्य पिछले पांच वर्षो से किसी अन्य मद से नही कराया गया हो।

10. यदि संबंधित भूमि गैरमजरूआ आम ज्ञात होती है तो कार्यान्वयन एसेंसी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सूनिश्चित क्र लेगे कि राज्य सरकार के स्तर से भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
11. योजना स्थल किसी अन्य विभाग की भूमि हो तो कार्यकारी एजेंसी उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही योजना का कार्य प्रारंभ करायेगे।
12. योजना स्थल अंशतः या पूर्णताः वन क्षेत्र में पड़ता हो तो कार्यकारी एजेंसी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।
13. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित हो लेंगे योजना स्थल विवाद रहित हो तथा माननीय सांसद द्वारा अनुशंसित/चयनित स्थल पर ही योजना का कियान्वयन हो।

ह0/-

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक ....658..../ जि0यो0, दिनांक 12.9.2018

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक प्राप्त करना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि— नाजिर, जिला योजना कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को हस्तगत कराना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि— माननीय सांसद, श्री चिराग पासवान, 12 जनपथ, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.9.18

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।